Dy. No. 14/13/268

The Present status of SYL and Hansi Butana Link Canal

66. **Sh. BALRAJ KUNDU, M.L.A. (Mehem):**

Will the Chief Minister be pleased to state:-

a) the present status of SYL and Hansi Butana link canal togetherwith the steps taken by the Government to complete the said canals so far ; and

b) the present status of Irrigation of Agriculture land in the State togetherwith the district wise details of the land irrigated through tubewells and through canal water ?

Sh. Manohar Lal, Chief Minister, Haryana.

a) & b) Sir, a statement is laid on the table of the House.

Dy. No. 14/13/268

Statement in Reply to Unstarred Assembly Question No. 66

a. **The present status of SYL and Hansi Butana link canal togetherwith the steps taken by the Government to complete the said canals so far are as under:-**

<u>Present status of SYL Canal</u>

The opinion on Presidential Reference has been given by Hon'ble Apex Court on 10.11.2016 and the Punjab Termination of Agreements Act, 2004 has been held unconstitutional. The Hon'ble Apex Court in its order dt. 28.07.2020 directed to convene a meeting of various stakeholders at the high level and outcome of same, if any, be informed to the Court. Consequently a meeting of Punjab and Haryana CM with Union Jal Shakti Minister, Sh Gajendra Shekhawat, CM Haryana was held on 18.08.2020 wherein Hon'ble CM, Haryana strongly advocated for honoring the verdict of Hon'ble Supreme Court of India to complete the construction of SYL Canal. Second meeting is likely to be held shortly for which a DO letter dt 06.05.2022 has been written by Hon'ble CM Haryana to Sh. Gajendra Singh Shekhawat, Hon'ble Minister of Jalshakti, Govt of India. requesting to convene the 2nd round of meeting of Chief Ministers of both States at the earliest as decided during the meeting on 18.08.2020 so that construction of SYL Canal is completed and Haryana gets is legitimate share of surplus Ravi-Beas waters.

<u>Present status of Hansi-Butana Link Canal</u>

The Cross examination of witnesses of all parties stood finished on 02.02.2016. As per directions of Court the matter will be listed for arguments. No next date yet fixed.

<u>Steps taken by Govt. to complete the SYL Canal</u>

1. Right from 09.02.2015, Govt., through Administrative Secretary, Irrigation and Water Resources Deptt. has written to the GOI, Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation requested the Govt. of India that the Presidential Reference be got mentioned through Solicitor General/Attorney General of India for taking up the matter with the Hon'ble Supreme Court for early listing and disposal of the Presidential Reference.

2. With the continuous efforts of Hon'ble CM politically as well as Administratively and raising the matter of SYL and Presidential Reference in the 27th meeting of NZC held on 25.04.2015, the matter regarding Presidential Reference, which was pending for more than 11 years on date, was heard by the Hon'ble Apex Court on 29.02.2016.
3. Haryana filed execution application (I.A. No. 6) on 01.06.2016 in Original Suit No. 6/1996 in Hon'ble Apex Court for implementation of Apex Court decision and decree dated 15.01.2002 and order dated 04.06.2004.
4. With continuous pleadings and efforts of our counsels before Hon'ble Court, opinion on Presidential Reference was given by Apex Court on 10.11.2016 and Punjab Termination of Agreements Act passed in 2004 was held as unconstitutional.
5. After decision on Presidential Reference the matter was taken up administratively as well as politically by conveying to GOI that much awaited decision on Presidential Reference has been pronounced by Hon'ble Apex Court on 10.11.2016 and requesting to take immediate steps towards implementation of the orders decreed on 15.01.2002 and judgement ordered on 04.06.2004 and complete the much delayed construction of SYL Canal and abate the agony of the people of Southern Haryana securing their legitimate share of surplus Ravi-Beas waters to their parched lands.
6. Hon'ble CM led an all party delegation of Haryana comprising State leaders of BJP, Congress, INLD and BSP submitted a memorandum to Union Home Minister, GOI on 24.03.2017 with similar request as made to President of India.
7. Haryana CM raised the matter of construction of SYL Canal in the 28th meeting of NZC held on 12.05.2017 at Chandigarh for its early completion by Punjab.
8. As a result of above steps and continuous efforts by Govt. of Haryana, Hon'ble Apex Court on 09.07.2019 requested the Chief Ministers of both the States to form a committee of officers and also to ensure that both of them deliberate with the intervention of Central Govt. at the highest level and if possible to work out a solution. Any alternative can only be one which is acceptable in toto to the State of Haryana and Rajasthan.
9. After two meetings on the issue on 16.08.2019 and 21.08.2019, nothing concrete emerged, so a DO letter has been written by Chief Secretary, Haryana to Secretary (D/o WR,RD &GR), Ministry of Jalshakti on 13.11.2019 requesting that the

deliberations should not be allowed to drag beyond the time limit granted by the Hon'ble Court. If the Government of Punjab decides not to relent, the matter be placed before the Hon'ble Supreme Court of India for further action without seeking extension of time. There is no gainsaying the fact that the deliberations spanning over more than two and half years do not seem to bring any change in the stand of the State of Punjab bringing more and more misery to the people of State of Haryana.

10. In the three meetings held under the Chairmanship of Secretary Secretary, D/o W/R, RD&GR, Ministry of Jal Shakti on 16.08.2019, 21.08.2019 and 06.12.2019, Haryana stated that the Supreme Court verdict in 2002, 2004 and 2016 and the latest order in 2019 clearly lays stress on respecting its order for construction of SYL Canal. Haryana stressed the need of construction of SYL to carry its share as well as a backup for the Narwana Canal which presently is a lifeline for the state and expressed concerns that the understanding reached in the earlier meetings on smaller issues could not lead to tangible progress. Haryana side held that Sutlej Yamuna Link canal is essential for the state to carry its legitimate share of 3.50 MAF in the Ravi Beas waters.

11. On 18.08.2020, during meeting of Punjab and Haryana CM with Union Jal Shakti Minister, Sh Gajendra Shekhawat, CM Haryana strongly advocated for honoring the verdict of Hon'ble Supreme Court of India to complete the construction of SYL Canal. He further said that we need carrying capacity to convey the legitimate share of water allocated to Haryana. Reacting to statement of Punjab CM that availability of water has gone down, he said that the construction of SYL and availability of water are two different issues. We should not confuse the two issues as water will be allocated to the states pro rata depending on current availability of water. This is clearly provided in the 1981 agreement. In fact SCI, in its judgement has also clearly mentioned that the decision of Supreme Court is to complete construction of SYL canal. The precise allocation and distribution of waters among riparian states can be decided by the Tribunal .

    He also said that surplus, unchannelised water of Ravi , Satluj and Beas water has flowed to Pakistan. As Narwana Branch and BML are more than 60 years old so we need an alternate carrier for transporting our legitimate share of water.

12. Haryana Vidhan Sabha in its specially convened Session on 05.04.2022 passed resolution and urged to Central Government to take measures for the construction of Satluj Yamuna Link Canal in compliance with the directions of the Hon'ble Supreme Court.

13. A DO letter no CMH-2022/3527 dt 06.05.2022 has been written by Hon'ble CM Haryana to Sh. Gajendra Singh Shekhawat, Minister of Jalshakti, GOI requesting to convene the 2nd round of meeting of Chief Ministers of both States at the earliest as decided during the meeting on 18.08.2020 so that construction of SYL Canal is completed and Haryana gets is legitimate share of surplus Ravi-Beas waters.

14. The matter regarding completion of SYL Canal was raised by Hon'ble Chief Minister Haryana in the 30th meeting of Northern Zonal Council held on 09.07.2022 at Jaipur.

Steps taken by Govt. to complete Hansi-Butana Canal

1. Hon’ble Chief Minister has raised this issue of Hansi-Butana Canal time and again on various political meetings/fronts and in the 27th meeting of Northern Zonal Council held on 25.04.2015.
2. In second meeting of the Committee of Officers on SYL held on 21.08.2019 under the Chairmanship of Secretary, MOWR, Haryana raised the issue of resumption of work of "Bhakra Main Line-Hansi Branch-Butana Branch Multipurpose Link Channel" (BML-HB-BB-MPLC) to open another off-take point on the Bhakra Main Line. Haryana stressed that this canal is complete except for last few meters because of the Original Suit 1/2007 filed by State of Punjab and Original Suit 3 of 2007 filed by Rajasthan pleading that it has been constructed by Haryana without their consent. During the meeting, Haryana reassured that concerns of Punjab on flooding will be addressed on ground by Govt. of Haryana to its satisfaction. Govt. of Haryana also reiterated its commitment given earlier vide letters dated 10.10.2007 and 04.01.2008 which envisages delivery of water under monitoring/supervision of BBMB to allay apprehensions of Rajasthan about its share in the BML. ln light of reassurance, Secretary (D/o WR,RD&GR) requested Punjab to consider withdrawal of its OS 1 of 2007 filed in Hon'ble Supreme Court in the matter. The Secretary stated that the matter will be taken up with Rajasthan for withdrawal of its OS 3/2007 so that BML-HB-BB-MPLC can be completed immediately to the benefit of Haryana. Punjab reiterated that the Hansi Butana Link channel now built by Haryana is a sufficient alternative to the SYL, in view of the changed circumstances. Haryana stated that this link is only for an equitable distribution of the actual amount of water which it is receiving and cannot be considered as alternative to SYL canal.
3. Haryana Vidhan Sabha in its specially convened Session on 05.04.2022 passed resolution urged the Central Govt. to prevail upon the State of Punjab to withdraw its case and permit the Hansi-Butana canal to be able to carry waters to water deficient areas of the State of Haryana and equitable distribution.”

b. The present status of Irrigation of Agriculture land in the State togetherwith the district wise details of the land irrigated through tubewells and through canal water is as under:-

Out of 39 lac hectare Culturable area, a total of 33.87 lac hectare net area has been irrigated during 2019-20. Out of this 12.31 lac hectares is through canal water and 21.56 lac hectares is through Tube-wells.

If Gross irrigated area is considered i.e. for both Rabi and Kharif then it totals to 62.79 lac hectares i.e. 23.26 lac hectares has been irrigated through canal water and 39.53 lac hectares through tube-wells.

District wise details of the land irrigated through tube-wells and through canal water for 2019-20 is attached as **Annexure-1**.

एस.वाई.एल. तथा हांसी बुटाना लिंक नहर की वर्तमान स्थिति

66. **श्री बलराज कुंडू, विधायक (महम):**

क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे किः–

क) एस.वाई.एल. तथा हांसी बुटाना लिंक नहर की वर्तमान स्थिति तथा अब तक नहरों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए गए; तथा

ख) राज्य में कृषि भूमि की सिंचाई की वर्तमान स्थिति तथा नलकूप एवं नहर के माध्यम से भूमि सिंचाई का जिलावार ब्यौरा क्या है?

श्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा।

क) और ख) श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर है।

विवरणी

अतारांकित विधानसभा प्रश्न संख्या 66

क) एसवाईएल और हांसी बुटाना लिंक नहर की वर्तमान स्थिति सहित उक्त नहरों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा अब तक उठाए गए कदम इस प्रकार हैंः–

<u>एसवाईएल नहर की वर्तमान स्थिति</u>

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.11.2016 को राष्ट्रपति के संदर्भ पर अपना विचार दिया और पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट अधिनियम, 2004 को असंवैधानिक करार दिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में दिनांक 28.07.2020 को उच्च स्तर पर विभिन्न हितधारकों की बैठक बुलाने का निर्देश दिया और आदेश दिया गया कि न्यायालय को उसके परिणाम, यदि कोई हो, के बारे में सूचित किया जाए। परिणाम स्वरूप जल शक्ति मंत्री, श्री गजेंद्र शेखावत, के साथ पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री की एक बैठक 18.08.2020 को हुई, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए एस.वाई.एल. (SYL) नहर के निर्माण को पूरा करने की दृढ़ता से वकालत की। दूसरी बैठक शीघ्र ही आयोजित होने की संभावना है जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा ने अर्ध सरकारी पत्र दिनांक 06.05.2022 द्वारा श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, माननीय जलशक्ति मंत्री, भारत सरकार को लिखा गया, जिसमें उनसे दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ दूसरे दौर की बैठक, जल्द से जल्द बुलाने का अनुरोध किया है जोकि दिनांक 18.08.2020 को हुई बैठक के दौरान निर्णय किया गया था, ताकि एस.वाई.एल. नहर का निर्माण पूरा हो सके और हरियाणा को अपना रावी–ब्यास के अधिशेष जल का वैध हिस्सा मिल सके।

<u>हांसी–बुटाना लिंक नहर की वर्तमान स्थिति</u>

सभी पक्षों के गवाहों की प्रतिपरीक्षा दिनांक 02.02.2016 को समाप्त हुई। कोर्ट के निर्देश पर मामले को बहस के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। अगली तारीख अभी तय नहीं है।

<u>एसवाईएल नहर को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम</u>

1. दिनांक 09.02.2015 से सरकार ने प्रशासनिक सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के माध्यम से जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार, को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया की भारत के सोलिसिटर जनरल/भारत के अटॉर्नी जनरल के द्वारा राष्ट्रपति के संदर्भ को शीघ्र सूचिबद्व करने के मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उठाया जाए ताकि राष्ट्रपति संदर्भ का निपटान हो सकें।
2. माननीय मुख्यमंत्री के राजनीतिक और साथ ही प्रशासनिक रूप से निरंतर प्रयासों के साथ दिनांक 25.04.2015 को आयोजित हुई उत्तरी क्षेत्रिय परिषद् (NZC) की 27वीं बैठक में एसवाईएल और राष्ट्रपति संदर्भ के मामले को उठाते हुए, राष्ट्रपति के संदर्भ से संबंधित

मामला, जोकि 11 वर्ष से अधिक समय से लंबित था, फलस्वरूप दिनांक 29.02.2016 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्‌वारा सुनवाई की गई।

3. हरियाणा ने सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 15.01.2002 के निर्णय और डिक्री और आदेश दिनांक 04.06.2004 के कार्यान्वयन के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मूल वाद संख्या 6/1996 में 01.06.2016 को निष्पादन आवेदन (आईए नंबर 6) दायर किया।

4. माननीय न्यायालय के समक्ष हमारे वकीलों की निरंतर दलीलों और प्रयासों के साथ, सर्वोच्च न्यायालय द्‌वारा 10.11.2016 को राष्ट्रपति के संदर्भ पर राय दी गई और 2004 में पारित पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट को असंवैधानिक करार दिया गया।

5. राष्ट्रपति के संदर्भ पर निर्णय के बाद, मामले को प्रशासनिक और राजनीतिक तौर पर भारत सरकार को बताया गया कि राष्ट्रपति के संदर्भ पर बहुप्रतीक्षित निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.11.2016 को सुनाया गया है और यह अनुरोध किया कि दिनांक 15.01.2002 के आदेशों को और 04.06.2004 के निर्णय के कार्यान्वयन की दिशा में तत्काल कदम उठाएं जाएं और एस.वाई.एल. नहर के बहुत विलंबित निर्माण के कार्य को पूरा करें ताकि दक्षिणी हरियाणा के लोगों की पीड़ा कुछ कम हो सके और जिससें उनकी सूखी भूमि के लिए अधिशेष रावी–ब्यास के जल का वैध हिस्सा प्राप्त हो सकें।

6. माननीय मुख्यमंत्री ने दिनांक 24.03.2017 को हरियाणा राज्य के भाजपा, कांग्रेस, इनेलो और बसपा के एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और केंद्रीय गृह मंत्री, भारत सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें भारत के माननीय राष्ट्रपति को किए गए अनुरोध के समान ही अनुरोध थे।

7. हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पंजाब द्वारा एस.वाई.एल. को शीघ्र पूरा करने के लिए चण्डीगढ़ में 12.05.2017 को आयोजित उत्तरी क्षेत्रिय परिषद् (NZC) की 28 वी बैठक में एस.वाई.एल. नहर के निर्माण का मुद्‌दा उठाया।

8. उपरोक्त कदमों और सरकार के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप हरियाणा के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 09.07.2019 को दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रीयो से अधिकारियों की एक समिति बनाने का अनुरोध किया और यह भी सुनिश्चित किया कि दोनो केंद्र सरकार के, उच्चतम स्तर पर, हस्तक्षेप से विचार विमर्श करेगें। कोई भी विकल्प केवल वही हो सकता है जो हरियाणा और राजस्थान राज्य को पूर्ण रूप से स्वीकार्य हो।

9. दिनांक 16.08.2019 और 21.08.2019 इस मुद्दे पर दो बैठकों के बाद, कुछ भी ठोस नही निकला, इसलिए मुख्य सचिव, हरियाणा द्वारा सचिव (डी/ओ डब्लयूआर. आरडी एंड आरडी एंड जीआर) जलशक्ति मंत्रालय को 13.11.2019 को एक अर्ध सरकारी पत्र लिखा गया जिसमें यह अनुरोध किया गया, कि विवेचना को माननीय न्यायालय द्वारा तय की गई समय सीमा से आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यदि पंजाब सरकार नही मानने का फैसला करती है तो मामले को समय बढाने की मांग किए बिना आगे की कार्रवाई के लिए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखा जाए। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ढाई साल से अधिक समय से चली आ रही चर्चाओं से पंजाब राज्य के रूख में किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नही आया है, जिससे फलस्वरूप हरियाणा राज्य के लोगो को अत्याधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

10. सचिव, (डी/ओ डब्ल्यु/आर, आरडी एंड जीआर), जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता मे दिनांक 16.08.2019, 21.08.2019 और 06.12.2019 को हुई तीन बैठकों में हरियाणा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले वर्ष 2002, 2004, 2016 और 2019 मे नवीनतम आदेश स्पष्ट रूप से एसवाईएल नहर के निर्माण पर जोर देता है। हरियाणा ने अपने हिस्से का पानी ले जाने हेतु एसवाईएल के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया, जो नरवाना नहर का एक बैकअप है, वर्तमान में राज्य के लिए एस.वाई.एल. एक जीवन रेखा है और चिंता व्यक्त की कि छोटे मुद्दों पर पहले की बैठकों में हुई आपसी सहमति से भी कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। हरियाणा पक्ष का मानना है कि सतलुज यमुना लिंक नहर राज्य के लिए रावी ब्यास जल मे 3.50 एमएएफ के अपने वैध हिस्से को ले जाने के लिए अति आवश्यक है।

11, दिनांक 18.08.2020 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ पंजाब और हरियाणा के सीएम की बैठक के दौरान सीएम हरियाणा ने एसवाईएल नहर के निर्माण को पूरा करने के लिए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करने की जोरदार वकालत की। उन्होने आगे कहा कि हमें हरियाणा को आवंटित पानी के वैध हिस्से को पहुंचाने के लिए क्षमता बढाने की आवश्यकता है। पानी की उपलब्धता कम होने के पंजाब के मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होने कहा कि एसवाईएल का निर्माण और पानी की उपलब्धता दो अलग–अलग मुद्दे है। हमें दो मुद्दों को भ्रमित नही करना चाहिए क्योकि पानी की वर्तमान उपलब्धता के आधार पर ही राज्यों को पानी आवंटित होता

है। यह 1981 के समझौतो में स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है। दरअसल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एसवाईएल नहर का निर्माण पूरा करने के लिए है। ट्रिब्यूनल द्वारा तटवर्ती राज्यों के बीच पानी का सटीक आवंटन और वितरण तय किया जा सकता है। उन्होनें यह भी कहा कि रावी, सतलुज और ब्यास के पानी का अतिरिक्त पानी पाकिस्तान में चला जाता है। चूंकि नरवाना शाखा और बीएमएल 60 वर्ष से अधिक पुरानी है, इसलिए हमें अपने वैध हिस्से के पानी के परिवहन के लिए एक वैकल्पिक वाहक की आवश्यकता है।

12. हरियाणा विधानसभा ने 05.04.2022 को अपने विशेष रूप से बुलाए गए सत्र में प्रस्ताव पारित किया और केंद्र सरकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण के लिए उपाय करने का आग्रह किया।

13. माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्री, भारत सरकार को एक अर्ध सरकारी पत्र संख्या सीएमएच–2022/3527 दिनांक 06.05.2022 द्वारा अनुरोध किया गया कि 18.08.2020 को हुई बैठक के दौरान तय किए गए निर्देश के अनुसार दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक का दूसरा दौर जल्द से जल्द आयोजित किया जाए ताकि एसवाईएल नहर का निर्माण पूरा हो और हरियाणा को रावी ब्यास का अधिशेष जल का वैध हिस्सा मिले।

14. एसवाईएल नहर को पूरा करने का मामला माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा 09.07.2022 को जयपुर में आयोजित उतरी क्षेत्रीय परिषद् की 30 वीं बैठक में भी उठाया गया।

हांसी –बुटाना नहर को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

1. माननीय मुख्यमंत्री जी ने हांसी– बुटाना नहर के मुद्दे को विभिन्न राजनीतिक बैठकों/मोर्चों पर बार–बार उठाया है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 25.04.2015 को आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद् की 27वीं बैठक में भी यही मुद्दा उठाया गया।

2. सचिव, जल संसाधन मंत्रालय, हरियाणा की अध्यक्षता में दिनांक 21.08.2019 को आयोजित एसवाईएल पर अधिकारियों की समिति की दूसरी बैठक में '' भाखडा मेन लाइन–हांसी शाखा–बुटाना शाखा बहुउद्देशीय लिंक चैनल'' (बीएमएल एचबीबी–एमपीएलसी) का भाखडा मेन लाईन पर एक और ऑफ–टेक प्वांइट खोलने का काम शुरू करने का मुद्दा उठाया गया। हरियाणा ने जोर देकर कहा कि यह नहर पंजाब द्वारा दायर मूल वाद 1/2007 और राजस्थान द्वारा दायर 2007 के मूल वाद 3, जिसमे कहा गया है कि इसका निर्माण हरियाणा द्वारा उनकी सहमति के बिना किया गया है, के कारण पिछले कुछ मीटरों को छोड़कर पूर्ण है। बैठक के दौरान, हरियाणा ने आश्वासन दिया कि बाढ़ पर पंजाब की चिंताओं की संतुष्टि को सरकार द्वारा सबोधित किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने दिनांक 10.10.2007 और 04.01.2008 के पत्रों के माध्यम से पूर्व में दी गई अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया जिसमें बीएमएल में अपने हिस्से के बारे में राजस्थान की आशंकाओं को दूर करने के लिए बीबीएमबी की निगरानी/पर्यवेक्षण के तहत पानी की डिलीवरी की परिकल्पना की गई है। आश्वासन के आलोक में, सचिव (डी/ओ डब्लयूआर, आरडी एंड जीआर) नें पंजाब से इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर 2007 के अपने ओएस 1 को वापिस लेने पर विचार करने का अनुरोध किया। सचिव ने कहा कि राजस्थान के Original Suit 3/2007 को वापिस लेने के लिए मामला उठाया जाएगा ताकि हरियाणा के लाभ के लिए बीएमएल–एचबी–एमपीएलसी को तुरंत पूरा किया जा सकें। पंजाब ने दोहराया कि बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए अब हरियाणा द्वारा बनाई गयी हांसी बुटाना लिंक चैनल एसवाईएल का पर्याप्त विकल्प है। हरियाणा ने कहा कि यह लिंक केवल प्राप्त होने वाले पानी की वास्तविक मात्रा के समान वितरण के लिए है और इसे एसवाईएल नहर के विकल्प के रूप में नही माना जा सकता है।

3. हरियाणा विधानसभा ने अपने विशेष रूप से बुलाए गए सत्र में दिनांक 05.04.2022 को पारित प्रस्ताव द्वारा आग्रह किया कि केंद्र सरकार पंजाब राज्य को सहमत करें कि पंजाब राज्य अपना मामला वापस ले और हांसी बुटाना नहर को हरियाणा राज्य के पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पानी ले जाने और समान वितरण करने की अनुमति दें।

ख) राज्य में कृषि भूमि की सिंचाई की वर्तमान स्थिति के साथ –साथ नलकूपों और नहर के पानी के माध्यम से सिंचित भूमि का जिलावार विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष 2019–20 के दौरान 39 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र में से कुल 33.87 लाख हेक्टयर क्षेत्र को सिंचित किया गया है। इसमे से 12.31 लाख हेक्टेयर नहर के पानी के माध्यम से और 21.56 लाख हेक्टेयर नलकूपों के माध्यम से है।

यदि रबी और खरीफ दोनों के लिए सकल सिंचित क्षेत्र को माना जाए तो यह कुल 62.79 लाख हेक्टेयर यानि 23.26 लाख हेक्टेयर नहर के पानी से और 39.53 लाख हेक्टेयर नलकूपों के माध्यम से सिंचित है।

वर्ष 2019–20 के लिए नलकूपों और नहर के पानी के माध्यम से सिंचित भूमि का जिलावार विवरण Annexure-1 के रूप में संलग्न है।

Annexure-I

TABLE 3.2
DISTRICT- WISE AREA IRRIGATED (SOURCE-WISE)
AREA IRRIGATED IN EACH DISTRICT OF _HARYANA_STATE FOR THE YEAR ENDING_2019-20

NET IRRIGATED AREA (SOURCE WISE)

(Hectare)

District	NET IRRIGATED AREA FROM							
	Canals			TANKS	Wells		Other Sources	Total
	Govt.	Pvt.	Total		Tube-well	Other wells		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Ambala	2900	0	2900	0	145395			**148295**
Kurukshetra	28000	0	28000	0	111322			**139322**
Karnal	56556	0	56556	0	143959			**200515**
Sonepat	23700	0	23700	0	128876			**152576**
Gurgaon	0	0	0	0	84520			**84520**
Faridabad	0	0	0	0	31893			**31893**
Hissar	206080	0	206080	0	106075			**312155**
Sirsa	268700	0	268700	0	113475			**382175**
Bhiwani	57800	0	57800	0	180358			**238158**
C.Dadri	26000		26000		70139			**96139**
Rohtak	75218	0	75218	0	78575			**153793**
Jind	217477	0	217477	0	36314			**253791**
Mahendergarh	1200	0	1200	0	119341			**120541**
Yamunanagar	1790	0	1790	0	109121			**110911**
Kaithal	76634	0	76634	0	120597			**197231**
Panipat	40136	0	40136	0	56547			**96683**
Rewari	0	0	0	0	125506			**125506**
Panchkula	0	0	0	0	18810			**18810**
Jhajjar	51670	0	51670	0	70237			**121907**
Fatehabad	63409	0	63409	0	155332			**218741**
Mewat	13600	0	13600	0	71055			**84655**
Palwal	20900	0	20900	0	78204			**99104**
State Total	**1231770**	**0**	**1231770**	**0**	**2155651**			**3387421**

GROSS IRRIGATED AREA (SOURCE WISE)

(Hectare)

District	GROSS IRRIGATED AREA FROM							
	Canals			TANKS	Wells		Other Sources	Total
	Govt.	Pvt.	Total		Tube-well	Other wells		
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Ambala	4073		4073	0	204207			**208280**
Kurukshetra	55739		55739	0	221605			**277344**
Karnal	111440		111440	0	283663			**395103**
Sonepat	47076		47076	0	255987			**303063**
Gurgaon	0		0	0	109864			**109864**
Faridabad	0		0	0	63119			**63119**
Hissar	401309		401309	0	206564			**607873**
Sirsa	515323		515323	0	217627			**732950**
Bhiwani	103116		103116	0	321760			**424876**
C.Dadri	51827		51827		139812			**191639**
Rohtak	110867		110867	0	115816			**226683**
Jind	400592		400592	0	66890			**467482**
Mahendergarh	2275		2275	0	226269			**228544**
Yamunanagar	3496		3496	0	213106			**216602**
Kaithal	150008		150008	0	236063			**386071**
Panipat	79725		79725	0	112323			**192048**
Rewari	0		0	0	207569			**207569**
Panchkula	0		0	0	37300			**37300**
Jhajjar	100381		100381	0	136451			**236832**
Fatehabad	124885		124885	0	305929			**430814**
Mewat	22539		22539	0	117761			**140300**
Palwal	41060		41060	0	153638			**194698**
State Total	**2325731**		**2325731**	**0**	**3953323**			**6279054**